प्रारुप–30.3

परियोजना विवरण :– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (**0.00** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.90** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.90 हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 07/11/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री विजय कुमार जोगदंडे जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– **श्री विजय कुमार जोगदंडे जिलाधिकारी** पिथौरागढ अध्यक्ष
2– श्री विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य
3– श्रीमति गंगोत्री दताल ग्राम दांतू पो0 जौलजीबी, धारचूला जिला पंचायत सदस्य
4– श्री सूरेश जेठा ग्राम सुवा पो0आ0– धारचूला जिला पंचायत सदस्य
5– श्रीमती पुषा देवी ग्राम चामी भैंसकोट विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
6– श्री विद्यासागर कापड़ी ------जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु **0.90** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से माननीय माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सुवा धारचूला जिला पंचायत सदस्य सदस्य जिला पंचायत खेला 02 धारचूला (पिथौरागढ़)	मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य 09 नाचनी, पिथौरागढ	जौलजीबी धारचूला जिला पं0 सदस्य श्रीमती गंगोत्री दताल सदस्य जिला पंचायत मेतली (पिथौरागढ़)
प्रभागीय वनाधिकारी	समाज कल्याण अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ	जिला अधिकारी जिलाधिकारी पिथौरागढ

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector Pithoragarh

No--- 75   Dated 07/11/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.900** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Salmora, Mulagarh, Garhan** village (s) in **Bin (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.900** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिलाधिकारी

पिथौरागढ़

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs~~/~~Miss~~..Dr. Vijay Kumar Jogdande.. I.A.S deputy commissioner,. .Pithoragarh on dated .07/11/2020at time ...1:40....at ...P.M... in which application claiming rights in P.D. PWD Pithoragarh area measuring 0.90 hect for the construction of Tojardeval To Mulagarh Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Pithoragarh sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pithoragarh
Dated:..07/11/2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रारुप--30.2

परियोजना का नाम :– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.90** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ,**शून्य** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.90** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 16.10.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री तुषार सैनी**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री **तुषार सैनी** उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
2– श्री ~~नवीन चन्द्र पन्त~~————उप प्रभागीय वनाधिकारी ——————सदस्य
3– श्री ~~K R Watumi~~————सहायक समाज कल्याण अधिकारी————सदस्य/सचिव
4– श्रीमती रेनू भट्ट पत्नि श्री अशोक भट्ट बी0डी0सी0 क्षेत्र **सोनगॉव** सदस्य
5– श्री शुभम चन्द पुत्र श्री शिव राज चन्द बी0डी0सी0 क्षेत्र **मूनाकोट** सदस्य
6– श्री राजेन्द्र सिंह गोबाड़ी पुत्र श्री लाल सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र **रज्यूड़ा** सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट
सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु **0.90** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग** .प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद– पिथौरागढ

उप जिला अधिकारी पिथौरागढ (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

शुभम चन्द
क्षेत्र पंचायत सदस्य

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद– पिथौरागढ

R. Bhatt
क्षेत्र पंचायत सदस्य सोनगांव
वि0 ख0 मूनाकोट पिथौरागढ

राजेन्द्र सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत रज्यूड़ा,
वि.ख.-मूनाकोट पिथौरागढ

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ...सलमोड़ा...
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे0 सिविल सोयम भूमि ,शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.90** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...सलमोड़ा... द्वारा दिनांक...28/01/20...को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...सलमोड़ा... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम प्रधान
मुहर सहित
प्रधान ग्राम पंचायत-सलमोड़ा विकास खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र सलमोड़ा
वि0ख0- मूनाकोट, पिथौरागढ़

तउली कापरी
ह0 / –
सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 28/01/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सलमोड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रमेश चन्द्र	[illegible]
2	गोपाल सिंह	गोपाल [illegible]
3	दीवान सिंह	दीवान
4	नरेन्द्र सिंह	[illegible]
5		[illegible]
6	कुलित सिंह	[illegible]
7	महेश सिंह	[illegible]
8	गिरीश पुनेठा	[illegible]
9.	रघुवर दत्त पुनेठा	[illegible]
10	पीताम्बर पुनेठा	[illegible]
11.	उषा जोशी	[illegible]
12		[illegible]
13	हरीनन्दन जोशी	Hari Nandan
14	पुष्पा जोशी	पुष्पा जोशी
15	रमेश चन्द्र जोशी	[illegible]
16	प्रमोद जोशी	[illegible]
(17)	लोकेश जोशी	[illegible]
(18)	कुन्दन जोशी	[illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान [signature]

प्रधान
ग्राम पंचायत-सलमोड़ा
विकासखण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सलमोड़ा (मूलागाड़)

तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे0 सिविल सोयम भूमि ,शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.90** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सलमोड़ा द्वारा दिनांक 28/01/20 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मूलागाड़ .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम प्रधान
मुहर सहित
प्रधान
ग्राम पंचायत-सलमोड़ा
विकास खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र सलमोड़ा
वि0ख0- मूनाकोट, पिथौरागढ़

ह0 / –
सरपंच
मुहर सहित
सरपंच
वन पंचायत सलमोड़ा

प्रारुप–30.4

दिनांक 28/01/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सलमोड़ा (मुनाकोट)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	श्री कैलाश चन्द सलमोड़ा	[illegible]
02	" संजय चन्द सलमोड़ा	[illegible]
03	" पूरन चन्द सलमोड़ा	[illegible]
04	" प्रेम चन्द सलमोड़ा	[illegible]
05	" [illegible] सलमोड़ा	[illegible]
06	" PREM CHAND	[illegible]
07	"	
08	" प्रेम चन्द	
9	" रमेश चन्द	रमेशचन्द

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत-सलमोड़ा
विकास खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम :– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत

जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम सलमोड़ा (राहत)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे0 सिविल सोयम भूमि ,शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.90** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सलमोड़ा द्वारा दिनांक 28/01/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम राहत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र – बीसाबजेड़
विकास खण्ड – मूनाकोट
जिला पिथौरागढ़

ह0/–
प्रधान
ग्राम प्रधान/सरपंच ग्राम पंचायत–सलमोड़ा
मुहर सहित खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)

Scanned with CamScanner

प्रारूप–30.4

दिनांक 28/01/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सलमोड़ा (गड़ान)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गोविन्द वल्लभ पुनेठा	[signature]
2	श्री लीलाम्बर पुनेठा	[signature]
3	" त्रिभुवन पुनेठा	[signature]
4	" नरेश पुनेठा	[signature]
5	" रत्नाकर चन्द्र पुनेठा	[signature]
6	" चन्द्र वल्लभ पुनेठा	चन्द्रवल्लभ पुनेठा
7	श्रीमती मञ्जू पुनेठा	मञ्जू पुनेठा
8	" गिरीश पुनेठा	[signature]
9	" महन्त पुनेठा	[signature]
10	" भैरव दत्त पुनेठा	Bhairab Dutt Punetha
11	" दया किशन पुनेठा	[signature]
12	" कमलेश पुनेठा	Kamlesh Punetha
13	" दीपक पुनेठा	दीपक पुनेठा
14	श्रीमती गीता पुनेठा	[signature]
15	" रश्मि पुनेठा	[signature]
16	" भारती पुनेठा	भारती पुनेठा
17	" रेखा पुनेठा	रेखा पुनेठा
18	श्री किशन भण्डारी	Kishan [illegible]
19	" विक्रम भण्डारी	[signature]
20	" उमेश चन्द्र पुनेठा	उमेश पुनेठा
21	" पीताम्बर पुनेठा	P.D. Punetha
22	" रमेश पुनेठा	[signature]
23	श्रीमती शान्ती पुनेठा	शान्ती पुनेठा

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत-सलमोड़ा
विकास खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)

Scanned with CamScanner